अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....सहरसा....., सं0.....58....., सन्2020.....

केस का प्रकार.....आर्बिट्रेशन.....(परमानन्द भगत बनाम राज्य).....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
28.10.26	NHAI एवं राज्य उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदक सुनवाई हेतु निर्धारित विगत (09) नौ तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3 जी0 (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 107 परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि मौजा-सुलिन्दावाद, थाना नं0-197, खाता सं0-307, खेसरा सं0-1207 के ''कृषि से आवासीय'' श्रेणी में सम्परिवर्त्तन हेतु दायर किया गया है। आवेदक का दावा है कि उनकी प्रश्नगत भूमि मुख्य सड़क के बगल में है, जिसमें पक्का चहारदिवारी भी है। इस प्रकार उनके द्वारा कृषि से आवासीय श्रेणी में सम्परिवर्त्तन एवं उक्त भूमि में निर्मित चहारदिवारी की क्षतिपूर्ति का निर्धारण हेतु दायर किया गया है। विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त परियोजना हेतु निर्गत अधिसूचना एवं अधिघोषणा में अधिग्रहित भूमि खेसरा सं0-1207 का किस्म 'कृषि' दर्ज है। जिला स्तरीय छः सदस्यीय जाँच कमिटि द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदन में आवेदक के भू-खंड को 'कृषि' श्रेणी में रखा गया। छः (06) सदस्यीय उचित प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में खेसरा सं0-1207 का किस्म 'कृषि' अंकित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन में वर्णित खेसरा का किस्म 'कृषि' अंकित है एवं तदनुसार दर निर्धारण की कार्रवाई कर मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्परिवर्त्तन (Change in Land Use) से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किय गया है। तद्‌लोक में विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेज तथा विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा दाखिल जवाब व अभिलेखों के आलोक में आवेदक के भूमि के कृषि किस्म के अनुरूप देय मुआवजा राशि का भुगतान हेतु निर्गत नोटिस संगत नियमों के आलोक में किया गया है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में ऐसा कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके की अधिसूचना से पूर्व उनकी भूमि का उपयोग आवासीय भूमि के रूप में हो रही थी। फलस्वरूप प्रासंगिक मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा सहरसा द्वारा घोषित अवार्ड उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधितों को दी जाय। आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा